



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 24.02.2024

थाना बिनौली पुलिस ने अवैध रूप से चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री को जब्त करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में बने/अध बने अवैध शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र निर्माण व शस्त्र तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही अवैध



शस्त्र फैक्ट्री को जब्त करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 12 अवैध अर्धनिर्मित तमन्चें .315 बोर, 08 निर्मित अवैध तमन्चें .315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर व एक खोखा कारतूस तथा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहम्मद फैर्याज पुत्र नूर मोहम्मद निवासी इकबाल पुरा थाना कैराना जनपद शामली ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 193/2011 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली ।
- 1-मु0अ0सं0 370/2015 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2-मु0अ0सं0 44/2024 धारा 307 भादवि व 3/5/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं तथा मेरा साथी दिलावर निवासी जोला थाना बुढाना जनपद मुजफरनगर हाल पता कस्बा व थाना कान्धला जनपद शामली दोनों ने मिलकर शाहपुर बाणगंगा गांव के घने वन क्षेत्र में अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री बना रखी थी । जहाँ पर हम तमंचे बनाते थे । अवैध अस्लाह तैयार होने पर डिमाण्ड के अनुसार

मैं तथा मेरा दोस्त दिलावर अपने नेटवर्क के माध्यम से आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे। कल रात्रि में जब पुलिस ने दबिश दी थी तो मैंने तथा दिलावर ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किये थे।

बरामदगी का विवरण-

- 12 अवैध अर्धनिर्मित तमन्चें .315 बोर।
- 08 अवैध निर्मित तमन्चें .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा .315 बोर।
- एक खोखा कारतूस .315 बोर
- दो जिन्दा कारतूस .315 बोर
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण-** 01 वांक, 01 आरी, 02 हथौडा, 02 रेती, 01 घोरी, 01 बडी, 01 पिलास, 01 इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, 01 इलेक्ट्रिक ग्राण्डर मशीन, 05 kg का लोहे का वाट, 20 आरी की ब्लेड, 15 पीस बेल्टिंग की रॉड, 01 छैनी, 07 रिपिट पिन, 11 पीस लोहे के गुल्ले, दो एमरजेन्सी लाइट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री सुभाषचन्द थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-है0का0 546 विपिन थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-का0 1002 तरुण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 5-का0 343 पुरुषोत्तम थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 6-का0 429 प्रदीप भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-24.02.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 52/2024 धारा 379/427/411 भादवि में
वाँछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.02.2024 को थाना दोघट पर शमशाद ठेकेदार निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा 33/11 केवी विधुत उपकेन्द्र टीकरी पी0टी0डब्ल्यु0 की लाइन विभाजित करने हेतु चल रहे पोषकों के निर्माण कार्य से करीब 1390 मीटर डॉंग तार को चोरी कर लिया है तथा लाइन का खम्बा



क्षतिग्रस्त कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरवाज पुत्र उम्मेद निवासी जाकिर कालोनी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का0 876 कैलाश सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 1077 संतोष कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-24.02.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 45/2024 धारा 379/411 भादवि व मु0अ0सं0 52/2024 धारा 379/427/411 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध छुरी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 13.02.24 को थाना दोघट पर वादी अक्षय पुत्र लोकेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा कस्बा दोघट बिजली घर से करीब 900 मीटर केबिल चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 45/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



2-दिनांक 19.02.2024 को थाना दोघट पर शमशाद ठेकेदार निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा 33/11 केवी विधुत उपकेन्द्र टीकरी पी0टी0डब्ल्यु0 की लाइन विभाजित करने हेतु चल रहे पोषकों के निर्माण कार्य से करीब 1390 मीटर डॉग तार को चोरी कर लिया है तथा लाइन का खम्बा क्षतिग्रस्त कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 45/24 धारा 379/411 भादवि व मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद हुई है ।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 377/21 धारा 147/323/506 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फनगर।
- 2-मु0अ0सं0 45/24 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 61/24 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध छुरी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र जगपाल निवासी ग्राम बिराल थाना बुढाना जनपद मुजफ्फनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- का0 1077 सन्तोष कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3- का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 24.02.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभि० का नाम व पता:-

1-मोहित पुत्र कालू निवासी मौहल्ला पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-जसवीर पुत्र भोपाल निवासी सुन्हैडा थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-व०उ०नि० श्री धनवीर सिंह थाना खेकडा ।

2-उ०नि० श्री सोमपाल सिंह थाना खेकडा ।

3-है०का० 287 महेश कुमार थाना खेकडा ।

4-का० 24 तरुण कुमार थाना खेकडा ।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 24.02.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 302/23 धारा 411/414 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 302/23 धारा 411/414 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उक्त अभियोग में पूर्व में अभियुक्त राजा उर्फ सलमान पुत्र युसुफ निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

निसार पुत्र युनुस निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 346/20 धारा 13 जी एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 132/2020 धारा 392/411/420 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 199/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 21/21 धारा 307 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 23/21 धारा 414 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 22/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 302/23 धारा 411/414 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 596 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 24.02.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 DL-5SAS-9249 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 DL-5SAS-9249 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राशिद उर्फ चबन्नी पुत्र जमशेद निवासी चिरोडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- दिल्ली से चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 DL-5SAS-9249 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 05473/24 धारा 379 भादवि दिल्ली क्राइम ब्रांच)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0 1269/15 धारा 379/411 थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 2-मु0अ0सं0 36/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद ।
- 3-मु0अ0सं0 137/19 धारा 414 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 139/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 1006/19 धारा 380/411 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 6-मु0अ0सं0 388/21 धारा 380/411/414 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

- 7-मु0अ0सं0 244/21 धारा 352/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
8-मु0अ0सं0 273/22 धारा 307 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
9-मु0अ0सं0 274/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
10-मु0अ0सं0 120/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
11-मु0अ0सं0 40/23 धारा 379/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
12-मु0अ0सं0 05473/24 धारा 379 भादवि दिल्ली क्राइम ब्रांच ।
13-मु0अ0सं0 64/24 धारा 411/414 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 24.02.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाना के मु0अ0सं0 60/24 धारा 307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.02.2024 को वादी श्री ओमप्रकाश पुत्र लज्जे राम निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त आजाद पुत्र मलखान निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर द्वारा उसके पुत्र सुनील को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया । इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 60/24 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 60/24 धारा 307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आजाद पुत्र मलखान निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण –

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-का0 395 ललित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।